रजिस्टर्ड सं० डी० (डी)-73 REGISTERED No. D. (D)-73

Central Secretariat Library

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 16, 1974/ कार्तिक 25, 1896
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 16, 1974/KARTIKA 25, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1974

सा०का०नि० 1199—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों के श्रेणी III और IV की रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1 संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ और लागू रहने की अवधि—(1) इन नियमों का नाम भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों की श्रेणी III और श्रेणी IV में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1974 है।

(2) ये नियम पहली जुलाई, 1974 को लागू हुए समझे जाएंगे।

(3) ये नियम प्रारम्भ होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

2 परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक प्रसंग से द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "संघ की सशस्त्र सेनाओं" का अभिप्राय संघ की नौसेना, सेना या वायु सेनाओं से है,

(ख) "विकलांग भूतपूर्व सैनिक" का अभिप्राय उन भूतपूर्व सैनिकों से है जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु के विरुद्ध लड़ाई में अथवा अशान्त क्षेत्र में विकलांग हो गए हों।

(ग) "भूतपूर्व सैनिक" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो संघ की सशस्त्र सेनाओं में, जिनमें असम राइफल्स, रक्षा सुरक्षा कोर, सामान्य रिजर्व इंजीनियरी सेवा तथा जम्मू व कश्मीर मिलीशिया, लोक सहायक सेना तथा प्रादेशिक सेना को छोड़कर भूतपूर्व भारतीय राज्यों की सशस्त्र सेनाएं भी सम्मिलित हैं, किसी ५८ ५९ (चाहे लड़ाई से सम्बन्धित हों या उनसे भिन्न) अनुप्रमाणन के बाद कम से कम लगातार छह महीने तक सेवा कर चुका है, और

(i) अपवस्थ किए जाने या, कदाचार या अदक्षता के कारण सेवा से निर्मुक्त किए जाने या इस प्रकार निर्मुक्त किए जाने के समय तक रिजर्व में स्थानान्तरित किए गए हों, या

(ii) निर्मुक्त किए जाने या जैसा कि ऊपर कहा गया है, रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने के पात्र होने के लिए आवश्यक सेवा की अवधि पूरी करने के लिए ऐसी अवधि तक जो छह महीने से अधिक न हो, सेवा करनी है।

(घ) "आरक्षित रिक्तियों" का अभिप्राय नियम 4 के अधीन भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों से है।

96 GI/74—1

4. Disqualification : No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving:—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Kanungo in the Office of the Land and Development Office

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Kanungo	1	General Central, Service, Class III, Non-Gazatted Ministerial.	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is it composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation: Officers holding the post of Kanungo or Patwari in Deputy Commissioner's Office, Revenue Department Delhi Development Authority, who possesses the following qualifications:— 1. Matriculation. 2. Should have working knowledge of Urdu and Hindi and English. 3. Should have experience of at least three years of revenue work. (Period of deputation—ordinarily not exceeding three years)	Not applicable	Not applicable

[No. A-12018/2/73-LII]
S. MAHADEVA AYYAR Under Secy,

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1974

सा० का० नि० 1220.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् .—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-1 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1974 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. भ्राकाशवाणी (श्रेणी -1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 की भ्रनुसूची में,

(क) कम संख्या 1 तथा तत्सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, इस नियमावली के साथ संलग्न भ्रनुसूची में निर्दिष्ट कम संख्या भ्रौर प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी ;

(ख) कम संख्या 15 के सम्मुख कालम 12 के भ्रन्तर्गत प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेंगी, भ्रर्थात् :—

"केन्द्र निदेशक (सामान्य ग्रेड) के ग्रेड के ऐसे भ्रधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर बदली द्वारा जिसकी ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो। (प्रतिनियुक्ति की भ्रवधि सामान्यतया 3 वर्ष से भ्रधिक नहीं होगी)।"

भ्रनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	(क) केन्द्र निदेशक (सामान्य ग्रेड)	41	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-1 राजपत्रित	1100-1600 रुपए	प्रवरण	45 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट दी जा सकेगी)	भ्रावश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की कम से कम द्वितीय श्रेणी की डिग्री या समकक्ष परीक्षा पास। (2) निम्नलिखित का लगभग 7 वर्ष का भ्रनुभव :— (क) सीनियर या पर्यवेक्षण रूप मे प्रसारण/टैलिविजन के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने भ्रौर उन्हें तैयार करने का, या (ख) किसी सुस्थित समाचार पत्र या पुस्तक प्रकाशन फर्म या कम्पनी में सृजनात्मक लेखन भ्रौर पत्रकारिता का, या (ग) संगीत, नाटक, भ्रादि से संबंधित कार्य का, या (घ) विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में शिक्षा विस्तार कार्य का, या (ङ) जन सम्पर्क माध्यम भ्रनुसंधान भ्रौर जन सम्पर्क माध्यम भ्रभियानों का; इस भ्रनुभव में पर्यवेक्षण रूप में लगभग 3 वर्ष का प्रशासनिक भ्रनुभव भी होना चाहिए। (भ्रन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में भ्रर्हताभ्रों में संघ लोक सेवा भ्रायोग भ्रपने विवेकानुसार छूट दे सकेगा)। वांछनीय : (1) हिन्दी तथा, भ्रधिमानतः एक भ्रन्य भारतीय भाषा की जानकारी। (2) सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भ्रायोजन करने का भ्रनुभव। (3) उम्मीदवारों के भ्रपने विशेषज्ञता क्षेत्र में प्रकाशित सृजनात्मक कृतियों का प्रमाण। (5) नैमित्तिक रेडियो कार्यक्रमों भ्रौर प्रसारणों में भाग लेना।
	(ख) कार्यक्रम निदेशक	6					
	(ग) भ्रपर केन्द्र निदेशक (वाणिज्यिक)	9					
	(घ) उप निदेशक (बिक्री)	1					

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	(1) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, (2) 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति . (1) वे सहायक केन्द्र निदेशक जिनकी ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा हो। (2) उपर्युक्त (1) के न हो सकने पर, सहायक केन्द्र निदेशक, कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव (सेलेक्शन ग्रेड) और कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव (सामान्य ग्रेड) के ग्रेडों के वे अधिकारी जिनकी इन ग्रेडों में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद कुल मिला कर 10 वर्ष की सेवा हो। (3) उपर्युक्त (1) और (2) के न हो सकने पर, वे अधिकारी जिनकी कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव के रूप में सामान्य ग्रेड में या सेलेक्शन ग्रेड में या दोनों में 10 वर्ष की सेवा हो।	श्रेणी-1 विभागीय पदोन्नति समिति	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।"

टिप्पणी —(1) उपर्युक्त (2) और (3) में उल्लिखित अधिकारियों से चयन इन्टरव्यू के माध्यम से किया जायेगा जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिया जायेगा।

(2) उपर्युक्त (2) और (3) पर उल्लिखित अधिकारियों से पदोन्नति की पद्धति द्वारा भर्ती एक साल की अवधि के लिए लागू रहेगी। इसके बाद स्थिति का पुनरीक्षण होगा।

[फाइल संख्या 5/33/70-बी०(ए)]

एम० एल० टंडन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 23rd October, 1974

G.S.R. 1220,—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963.

(a) for serial number 1 and the entries relating thereto, the serial numbers and the entries specified in the schedule annexed to these rules shall be substituted;

(b) against serial number 15, for the entry in column 12, the following entry shall be substituted, namely :—

"By transfer on deputation of an officer in the grade of Station Director (Ordinary Grade) with 3 years' service in the grade. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years)".

THE SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7	8
"1.	A. Station Director (Ordinary Grade) B. Director of Programmes C. Additional Station Director (Commercial) D. Deputy Director (Sales)	41 6 9 1	General Central Service Class I Gazetted.	Rs. 1100-1600	Selection	45 years (Relaxable for Government servants).	Essential : (i) At least 2nd Class degree of a recognised University or equivalent. (ii) About 7 years' experience of— (a) planning and Production of Programmes for broadcasting/television in a senior or supervisory capacity, or (b) journalism and creative writing in any established newspaper or book publishing firm or company, or (c) work connected with music, drama etc., or (d) education extension work in different developmental fields, or (e) mass media research and mass media campaigns; including about 3 years' administrative experience in a supervisory capacity. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.) Desirable : (i) Knowledge of Hindi and, preferably, one other Indian language. (ii) Experience of organising cultural activities. (iii) Evidence of Published work, of creative production in the candidates' own field of specialisation. (iv) Participation in casual radio programmes and broadcasts.

9	10	11	12	13	14
No	2 years.	(i) 25% by direct recruitment; (ii) 75% by promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion (i) Assistant Station Directors with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. (ii) Failing (i) above, officers with 10 years' service in the grades of Assistant Station Director, Programme Executive (Selection Grade) and Programme Executive (Ordinary Grade) combined together rendered after appointment thereto on a regular basis. (iii) Failing (i) and (ii) above, officers with 10 years' service as Programme Executive either as Ordinary Grade or as Selection Grade or both.	Class I Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission. (Exemption from consultation) Regulations, 1958."

NOTE :—(1) Selection from officers mentioned at (ii) and (iii) will be made through interview to be conducted by the Union Public Service Commission.

(2) Recruitment by the method of promotion from officers mentioned at (ii) and (iii) above will remain in force for a period of one year, after which the position is to be reviewed.

[F. No. 5/33/70-B(A)]

M. L. TANDON, Under Secy.